कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का पत्र क्रमांकः एफ ( )प्रमुवसं/वसु/07/3495–3519 दिनांक 7.5.2007

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम के तहत भारत सरकार को भिजवाये जाने वाले वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के वनेतर अधिनियम के लिए प्रत्यावर्तन की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाती है। उक्त प्रकरणों में भेजे जाने वाले प्रस्तावों के प्रपत्र के भाग 2 एवं 3 की पूर्ति क्रमशः सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा की जानी होती है। संबंधित उप वन संरक्षकगणों को ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव से सम्बन्धित वन भूमि का निरीक्षण करना अनिवार्य होता है तथा सम्बन्धित वन संरक्षक को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन्स के अनुसार प्रकरण की प्रकृति एवं निहित भूमि के आकार के मद्दे नजर कुछ क्षेत्रों का मौका निरीक्षण अनिवार्य होता है। अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में यह आया है कि प्रस्ताव राज्य सरकार को/भारत सरकार को भिजवाये जाने के पश्चात् कुछ वन अधिकारी आगामी स्टेजों पर प्रकरण की तकनीकी आवश्यकता या पर्यावरण एवं वन संरक्षण के हितों में नई–नई शर्तें प्रस्तावित कर देते हैं। यह प्रवृत्ति उचित नहीं कही जा सकती है। संबंधित उप वन संरक्षक / वन संरक्षक को चाहिये कि प्रकरण विशेष की स्थिति के तकनीकी आवश्यकता अथवा मृदा एवं जल संरक्षण अथवा क्षेत्र के ओवरऑल हितों में यदि वह कोई विशेष शर्त यूजर एजेन्सी पर प्रस्तावित करना आवश्यक समझते हों तो उसे, प्रस्ताव स्टेज पर ही संबंधित भाग 2 व 3 में अपनी टिप्पणी/राय में शामिल कर लें ताकि उस पर इस कार्यालय स्तर पर विचार– विमर्श कर, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने बाबत् समुचित राय भी राज्य सरकार को भिजवाई जा सके। उल्लेखनीय है कि ऐसी प्रस्तावित किसी भी अतिरिक्त शर्त को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अन्ततोगत्वा राज्य सरकार में ही निहित होता है। यदि राज्य सरकार उसे आवश्यक समझती है तो उसका तथा प्रस्तावों का अनुमोदन कर प्रत्यावर्तन प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा देगी। प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित होने के उपरान्त किसी भी स्टेज पर कोई भी अतिरिक्त शर्त किसी वन अधिकारी द्वारा प्रस्तावित नहीं की जाये। इन निर्देशों की कठोरता से पालना की जाये।

भवदीय,
हस्ताक्षर/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर